कार्यालय :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः— 126 दिनांकः— 14.2.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :— गुमला बाईपास पथ निर्माण हेतु कुल 7.65 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 1890 दिनांक 22.11.2016 एवं पत्रांक 207 दिनांक 13.02.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 7.65 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy प्राप्त हुआ था, जिसमें कतिपय त्रुटियाँ पाई गई थी, जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 36 दिनांक 09.01.2017 द्वारा निदेशित किया गया। तदोपरान्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 207 दिनांक 13.02.2017 छायाप्रति संलग्न द्वारा त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय में पुनः अग्रसारित किया गया है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :—

1. यह प्रस्ताव गुमला वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. प्रस्तावित 7.65 हे0 वनभूमि में 7.21 हे0 जंगल—झाड़ी तथा 0.44 हे0 अधिसूचित वनभूमि शामिल है। इसका वनस्पति घनत्व 0.4 है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रपत्र Form-A Part-I में आवेदन तथा अभियुक्ति दर्ज है।
4. प्रस्ताव के साथ Part II एवं III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का अभियुक्ति दर्ज है। साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
5. प्रस्ताव के साथ Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज हैं।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि को दर्शाते हुए मौजा मैप संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ संलग्न 1:50,000 के स्केल पर टोपोशीट पर प्रस्तावित वनभूमि को दर्शाते हुए संलग्न है।
8. प्रस्तावित 7.65 हे0 वनभूमि का विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :—

LAND SCHEDULE OF GUMLA DISTRICT
PROTECTED FOREST

Sl. No.	VILLAGE NAME	THANA NO.	PLOT NO.	AREA		REMARKS
				Acre	Hect.	
1	TARRI	61	1008	0.02	0.01	
2	TARRI	61	1086	0.36	0.15	
3	DUMARDIH	63	622	0.70	0.28	
			TOTAL	1.08	0.44	

JUNGLE JHARI

Sl. No.	VILLAGE NAME	THANA NO.	PLOT NO.	AREA		REMARKS
				Acre	Hect.	
1	TIRRA	55	566	0.96	0.39	
2	TIRRA	55	1030	0.84	0.34	
3	JORAG	56	13	4.56	1.85	
4	FASIA	60	1627	1.55	0.63	
5	TARRI	61	1008	0.72	0.29	
6	TARRI	61	1086	5.27	2.13	
7	DUMARDIH	63	622	1.16	0.47	
8	SILAM	37	2176	1.80	0.73	
9	SILAM	37	2172	0.60	0.24	
10	SILAM	37	2175/3392	0.35	0.14	
			TOTAL	17.81	7.21	

9. प्रस्ताव के साथ Geo-reference Digital Plan in shape file में संलग्न है।
10. प्रस्तावित वनभूमि Eco-Sensitive Zone में अवस्थित है अतः NBWL से अनुमति प्राप्त करने हेतु संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक 201 दिनांक 27.01.2017 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची से अनुरोध किया गया है।
11. F.R.A, 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त के पत्रांक 1115 रा0 दिनांक 11.08.2016 द्वारा निर्गत दावारहित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही ग्राम सभी की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
12. इस परियोजना में प्रयुक्त 7.21 हे0 जंगल–झाड़ी उपयोग के संबंध में संबंधित उपायुक्त, गुमला के पत्रांक 1040 (ii) दिनांक 28.07.2016 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, जो प्रस्ताव क साथ संलग्न है।
13. वन संरक्षक, गुमला ने प्रतिवेदित किया है कि इस परियोजना में कुल 511 वृक्ष प्रभावित होगें। प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा N.P.V की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
15. भारत सरकार के पत्रांक– 11-246/2014-FC दिनांक 04.07.2014 के आलोक में इस परियोजना हेतु C.A हेतु गैर वनभूमि अथवा दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
16. C.W.L.W, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त नहीं है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।

17. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, व्याघ्र परियोजना एवं गज कोरिडोर का हिस्सा नहीं है। परन्तु Eco-Sensitive Zone के अन्तर्गत आता है।

18. प्रस्तावित वनभूमि में किसी प्रकार की Violation होने की सूचना नहीं है।

19. प्रस्ताव के साथ जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाऐं पार्ट–II में दर्ज है।

20. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव को Online कर दिया गया है तथा Time Line पत्र के साथ संलग्न है।

21. क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा विषयगत परियोजना हेतु 7.65 हे0 वनभूमि अपयोजन की अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। लोकहित में 7.65 हे0 वनभूमि अपयोजन की अनुसंशा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 7.65 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

14/02/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

14.2.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\Road\ Gumla Bypass Road, (7.65 ha), Compliance

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

CONSTRUCTION OF BYPASS AROUND GUMLA TOWN 7.65 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 7.65 ha. Forest land.

Date :- 14.02.2017

Place :- Ranchi.

Signature

14/02/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)